दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28/06/2018 का कार्यवृत्त

उपस्थित:

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	प्रतिकुलपति	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 हरिशरण	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	प्रो0 सुष्मिता सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
7	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
8	प्रो0 चितरंजन मिश्र	आचार्य, हिन्दी विभाग	सदस्य
9	प्रो0 श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी	राजनीति शास्त्र विभाग	सदस्य
10	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	प्राचार्य, श्री भ0म0हा0पी0जी0का0, पावानगर, कुशीनगर।	सदस्य
11	डॉ0 स्वयं प्रकाश लाल श्रीवास्तव	वरिष्ठ शिक्षक, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर	सदस्य
12	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची--

1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15/11/2017, 05/02/2018, 23/02/2018 एवं दिनांक 19/04/2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

   निर्णय--परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा समिति के उपरोक्त कार्यवृत्त की संपुष्टि की।

2. अधिष्ठाता, विधि संकाय द्वारा अवगत कराया गया है कि विधि भाग दो सत्र 2016--17 का परीक्षाफल घोषित हो गया है। इस परीक्षा में जो छात्र परीक्षा में फेल हो गये हैं या जिनका बैक आया है, उनकी स्पेशल परीक्षा कराया जाना सत्र विनियमितीकरण के लिए आवश्यक है। अधिष्ठाता, विधि संकाय के अनुरोध के क्रम में परीक्षा समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी द्वारा परीक्षा कराने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी है। तदक्रम में कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार--

   निर्णय-- अधिष्ठाता, विधि संकाय द्वारा अवगत कराया गया है कि विधि भाग दो सत्र 2016--17 का परीक्षाफल घोषित हो गया है। इस परीक्षा में जो छात्र परीक्षा में फेल हो गये हैं या जिनका बैक आया है, उनकी स्पेशल परीक्षा कराया जाना सत्र विनियमितीकरण के लिए आवश्यक था, जिसे सम्पन्न करा लिया गया है। परीक्षा समिति इससे अवगत होते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

3. प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 19.03.2018 के बिन्दु संख्या 2 पर प्रवेश समिति में श्री दिलीप कुमार सिंह एवं श्री बसंत लाल द्वारा श्री रामाश्रय प्रसाद पुत्र स्व0 रक्षा प्रसाद की स्नातकोत्तर (एम0ए0) समाजशास्त्र सत्र 1998--2000 की उपाधि निरस्त करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में दिये गये आवेदन एवं मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 47210/2017 के सम्बन्ध में प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 07.04.2017 के बिन्दु संख्या 1(ट) के अनुपालन में अधिष्ठाता, विधि संकाय एवं कुलसचिव जी की गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए लिए गये निर्णय-- *"सम्यक् विचारोपरान्त प्रवेश समिति ने श्री दिलीप कुमार सिंह एवं श्री बसंत लाल द्वारा श्री रामाश्रय प्रसाद पुत्र स्व0 रक्षा प्रसाद (स्नातकोत्तर, समाजशास्त्र, सत्र 1998--2000) की उपाधि निरस्त करने के सम्बन्ध में अधिष्ठाता, विधि संकाय एवं कुलसचिव जी की गठित समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, प्रकरण परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया।"* के क्रम में पर विचार--

   निर्णय--अधिष्ठाता, विधि संकाय एवं कुलसचिव जी की गठित समिति की रिपोर्ट की संस्तुति *(......श्री रामाश्रय प्रसाद ने 1981--82 में स्नातक की परीक्षा (अंग्रेजी, अर्थशास्त्र एवं भूगोल) विषय के साथ उत्तीर्ण करने के बाद बिना ब्रिज कोर्स किये स्नातक में लिए गये भिन्न विषय से वर्ष--2000 में स्नातकोत्तर (एम0ए0) की उपाधि समाजशास्त्र विषय के साथ प्राप्त किया जो नियम संगत नहीं है। अतः समिति ने श्री रामाश्रय प्रसाद की स्नातकोत्तर (एम0ए0) समाज शास्त्र वर्ष--2000 की उपाधि निरस्त करने की संस्तुति करती है।")* को प्रवेश समिति द्वारा स्वीकार करने के क्रम में विस्तृत विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने श्री रामाश्रय प्रसाद पुत्र स्व0 रक्षा प्रसाद (स्नातकोत्तर, समाजशास्त्र, सत्र 1998--2000) की अंकतालिका को निरस्त करते हुए इनकी उपाधि निरस्त करने हेतु कार्यपरिषद को सन्दर्भित किया।

4. *प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 23. 05. 2018 के बिन्दु सं0–3 के निर्णय "सम्यक विचारोपरान्त प्रवेश समिति ने आदर्श सिंह पुत्र श्री जंगबहादुर सिंह के द्वारा एक ही समय में दो विश्वविद्यालयों से वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 में बी0ए0 उत्तीर्ण करने एवं राधेश्याम पुत्र श्री रमेश चन्द्र यादव के द्वारा एक ही समय में दो विश्वविद्यालयों से वर्ष 2006, 2007 एवं 2008 में बी0ए0 उत्तीर्ण करने पर गठित समिति की आख्या को स्वीकार करते हुये आदर्श सिंह एवं राधेश्याम का बी0ए0 में प्रवेश नामांकन को निरस्त करने की संस्तुति को स्वीकार किया तथा अंक तालिका एवं उपाधि निरस्त करने हेतु परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया।"* के क्रम में विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से प्रवेश समिति के निर्णय को स्वीकार करते हुए एक ही समय में दो विश्वविद्यालयों से बी0ए0 उत्तीर्ण करने के कारण आदर्श सिंह पुत्र श्री जंगबहादुर सिंह बी0ए0 भाग एक वर्ष–2013, अनुक्रमांक–6010011877, बी0ए0 भाग दो वर्ष–2014 अनुक्रमांक–7060010695, बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2015, अनुक्रमांक–1510110010683, परीक्षा केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं राधेश्याम पुत्र श्री रमेश चन्द्र यादव बी0ए0 भाग एक वर्ष–2006, अनुक्रमांक–164663, बी0ए0 भाग दो वर्ष–2007 अनुक्रमांक–131246, बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2008, अनुक्रमांक–1061110325, परीक्षा केन्द्र–बी0आर0डी0बी0डी0 पी0जी0 कालेज, आश्रम बरहज देवरिया का अंकपत्र निरस्त करने का निर्णय लिया एवं उपाधि निरस्त करने हेतु कार्य परिषद को संदर्भित किया गया।

5. पूनम पाण्डेय के बी0एड0 सत्र 2005–06 सन्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के प्रवेश की वैधता के सम्बन्ध में प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 14.06.2018 के निर्णय *"सम्यक विचारोपरान्त प्रवेश समिति ने गठित समिति के संस्तुतियों के क्रम में बी0एड0 सत्र 2005–06 में सेन्ट एण्ड्रयूज महाविद्यालय, गोरखपुर में काउन्सिलिंग द्वारा अतिरिक्त प्रवेशित 25 छात्रों के प्रकरण पर छात्रहित में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए बी0एड0 सत्र 2005–06 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में रिक्त स्थानों के सापेक्ष उनके प्रवेश को Notional रूप में स्वीकार करते हुए विनियमित करने का निर्णय लिया, जिससे काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न होने पाये, साथ ही इस निर्णय को परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया"* के क्रम में विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से पूनम पाण्डेय के बी0एड0 सत्र 2005–06 सेन्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के प्रवेश की वैधता के सम्बन्ध में प्रवेश समिति बैठक दिनांक 14.06.2018 के निर्णय *"सम्यक विचारोपरान्त प्रवेश समिति ने गठित समिति के संस्तुतियों के क्रम में बी0एड0 सत्र 2005–06 में सेन्ट एण्ड्रयूज महाविद्यालय, गोरखपुर में काउन्सिलिंग द्वारा अतिरिक्त प्रवेशित 25 छात्रों के प्रकरण पर छात्रहित में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए बी0एड0 सत्र 2005–06 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में रिक्त स्थानों के सापेक्ष उनके प्रवेश को Notional रूप में स्वीकार करते हुए विनियमित करने का निर्णय लिया, जिससे काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न होने पाये" को स्वीकार किया, साथ ही इस निर्णय को कार्यपरिषद को सन्दर्भित किया।*

6. विद्यावती देवी महाविद्यालय, वैष्णवी नगर, झरही, तमकुहीराज, कुशीनगर द्वारा नकल हेतु धन मांगने सम्बन्धी (तथाकथित) आडियो वायरल होने के प्रकरण में सत्यता/परीक्षण/जांच हेतु (1) डॉ0 अयोध्या नाथ त्रिपाठी, प्राचार्य, यू0एन0 पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर, (2) डॉ0 अशोक कुमार सिंह, राजनीतिशास्त्र विभाग, यू0एन0 पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर की गठित समिति की आख्या पर विचार।
निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से विद्यावती देवी महाविद्यालय, वैष्णवी नगर, झरही, तमकुहीराज, कुशीनगर द्वारा नकल हेतु धन मांगने सम्बन्धी (तथाकथित) आडियो वायरल होने के प्रकरण में सत्यता/परीक्षण/जांच हेतु (1) डॉ0 अयोध्या नाथ त्रिपाठी, प्राचार्य, यू0एन0 पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर, (2) डॉ0 अशोक कुमार सिंह, राजनीतिशास्त्र विभाग, यू0एन0 पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर की गठित समिति की आख्या के निष्कर्ष "वायरल आडियो की सत्यता संदिग्ध है" को स्वीकार करते हुए प्रकरण को यहीं समाप्त किया।

7. आलमगीर अली अहमद ने वर्ष–1987 में मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपाररानी देवरिया से एम0ए0 हिन्दी से परीक्षा उत्तीर्ण हैं। इनके द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि सारणीयन पंजिका में मेरे पिता के नाम रहमत अली अंकित है, जबकि सही नाम बशीर अहमद है। सारणीयन पंजिका में मेरे पिता के नाम रहमत अली के स्थान पर बशीर अहमद अंकित होना चाहिए। सारणीयन पंजिका में पिता का नाम संशोधन कर उपाधि निर्गत किया जाय। साक्ष्य के रूप में हाई स्कूल, इन्टरमिडिएट अंकपत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति/शपथपत्र संलग्न किया है। सारणीयन पंजिका में रहमत अली के स्थान पर बशीर अहमद नाम संशोधन पर विचार–
निर्णय– समिति ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सारणीयन पंजिका में आलमगीर अली अहमद के पिता का नाम रहमत अली के स्थान पर बशीर अहमद का नाम संशोधन कर उपाधि निर्गत कर दिया जाय।

8. श्रीमती संगीता गौड़ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से बी0ए0 प्रथम, द्वितीय एवं बी0ए0 तृतीय वर्ष क्रमशः 2002, 2003 एवं 2004 में परीक्षा उत्तीर्ण की है। अभ्यर्थिनी ने प्रत्यावेदन दिया है कि अंकतालिका/सारणियन पंजिका में मेरे पति का नाम अविनाश गौड़ अंकित है, जबकि पिता का नाम राममूर्ति गौड़ अंकित होना चाहिए। सारणियन पंजिका में मेरे पति की जगह पिता का नाम अंकित कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत किया जाय, साक्ष्य के रूप में हाई स्कूल, इण्टरमिडिएट, वोटर आई0डी0 कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि की छायाप्रति एवं शपथपत्र संलग्न किया है।

निर्णय— समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि सारणीयन पंजिका में श्रीमती संगीता गौड़ के पति का नाम अविनाश गौड़ के स्थान पर पिता का नाम राममूर्ति गौड़ नाम संशोधित कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत कर दिया जाय।

9. परीक्षा समिति के गठन के बिन्दु संख्या 9 "Such other teachers not exceeding two in numbers as may be coopted by the Examination committee to serve as member of the Committee for a period of one year." के क्रम में रिक्त एक पद पर coopt करने पर विचार।

निर्णय— समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि डॉ0 एस0एन0 शर्मा (गुआक्टा अध्यक्ष) को एक वर्ष के लिए अथवा अगले चुनाव तक जो भी पहले हो तक के लिए परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय लिया।

10. विश्वविद्यालय परीक्षा 2017—18 में सचल दल के गठन के प्रावधानों के आंशिक संशोधन से अवगत होना एवं तदक्रम में कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार।

निर्णय— समिति विश्वविद्यालय परीक्षा 2017—18 में सचल दल के गठन के प्रावधानों के आंशिक संशोधन को स्वीकार करते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार—

1. विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा के बी0एस—सी0 प्रथम वर्ष गणित प्रथम प्रश्नपत्र के पेपर आउट होने के प्रकरण में गठित तथ्यान्वेषण समिति (Fact Finding Committee) के संयोजक प्रो0 एस0के0 दीक्षित द्वारा समिति की रिपोर्ट माननीय कुलपति जी को सौंपा गया, संयोजक द्वारा यह अवगत कराया गया कि समिति की जांच रिपोर्ट में संस्तुत है कि इस संदर्भ में आगे सूक्ष्म जाँच हेतु इसे (समिति की रिपोर्ट को) एस0टी0एफ0 को सौंपा जाय। जिसके क्रम में समिति ने सर्वसम्मत्ति से इसे स्वीकार करते हुए विवेचक/एस0टी0एफ0 से मांग पत्र प्राप्त करते हुए जांच समिति की प्रति उन्हें उपलब्ध कराने हेतु सहमति प्रदान किया साथ ही इस संदर्भ में अग्रतर किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

अन्त में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति